सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 07, सोमवार, शाके 1944-अगस्त 29, 2022 *Bhadra 07, Monday , Saka 1944- August 29, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त विभाग

(नियम अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, मई 19, 2022

जी.एस.आर.69 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा विभिन्न पुनरीक्षित वेतन नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (विभिन्न पुनरीक्षित वेतन) (पहला संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये 01.04.2022 से प्रवृत्त होंगे।

2 (i) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 से संलग्न अनुसूची- IV की विद्यमान क्रम सं. 11 हटायी जायेगी।

(ii) राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय महाविद्यालय के अध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों के लिए पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2018 से संलग्न अनुसूची-IV की विद्यमान क्रम संख्या 10 हटायी जायेगी।

(iii) राजस्थान सिविल सेवा (पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों सहित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापकों के लिए पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2021 से संलग्न अनुसूची-III की विद्यमान क्रम संख्या 10 हटायी जायेगी।

(iv) राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) के अध्यापकों, पुस्तालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) के अध्यापकों के लिए पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2021 से संलग्न अनुसूची-IV की विद्यमान क्रम संख्या 10 हटायी जायेगी।

[सं. एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 पार्ट]

राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार शर्मा,

शासन सचिव।

FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)
Notification
Jaipur, May 19, 2022

G.S.R.69 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan is pleased to make the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services various Revised Pay Rules, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Various Revised Pay) (First amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from 01.04.2022.

2. (i) The existing S.No.11 of Schedule-IV appended to the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, shall be deleted.
(ii) The existing S.No.10 of Schedule-IV appended to the Rajasthan Civil Services (Revised Pay for Government College Teachers including Librarians & PTIs) Rules, 2018, shall be deleted.
(iii) The existing S.No.10 of Schedule-III appended to the Rajasthan Civil Services (Revised Pay for Government Sanskrit College Teachers including Librarians & PTIs) Rules, 2021, shall be deleted.
(iv) The existing S.No.10 of Schedule-IV appended to the Rajasthan Civil Services (Revised Pay for Teachers, Librarians and Physical Training Instructors of Government, Polytechnic Colleges (Engineering) and Teachers of Government Polytechnic College (Non-Engineering)) Rules, 2021, shall be deleted.

[No. F. 15(1)FD/Rules/2017 Pt.]
By order of the Governor,

Sudhir Kumar Sharma,
Secretary to the Government
Finance (Budget).

Government Central Press, Jaipur.